संख्या: एलएस/21/2026-अनुपालन प्रकोष्ठ
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
https://prgi.gov.in

दिनांक: 06.07.2026

वर्ष 2026 की परामर्शिका संख्या 15

विषय: कानूनी वारिश के माध्यम से स्वामित्व अंतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में स्वामियों/प्रकाशकों के लिए परामर्शिका

यह पाया गया है कि आवेदक, प्रेस सेवा पोर्टल पर कानूनी वारिश के माध्यम से स्वामित्व अंतरण के अंतर्गत अपने आवेदन प्रस्तुत करते समय स्वामी के सभी शीर्षकों को मैप नहीं कर रहे हैं।

2. इस संबंध में, सभी स्वामियों/प्रकाशकों की जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कानूनी वारिश के माध्यम से स्वामित्व अंतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए:

- अंतरण की सुविधा के लिए कानूनी वारिश द्वारा एक ही आवेदन में सभी शीर्षकों (दिवंगत स्वामी से संबंधित) मैप किया जाए। (वे मामले आपवादिक होंगे, जहाँ विभिन्न वारिसों को स्वामी के विभिन्न शीर्षक(शीर्षकों) का उत्तराधिकार प्राप्त है।)

- प्रेस सेवा पोर्टल पर कानूनी वारिश के माध्यम से स्वामित्व अंतरण के अंतर्गत केवल **कानूनी वारिश** द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर ही कार्यवाही हेतु विचार किया जाएगा।

3. आवेदकों से अनुरोध है कि वे प्रेस सेवा पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करते समय उपर्युक्त अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करें, ताकि कार्यवाही के दौरान होने वाले विलंब, कमियाँ अथवा आवेदन के अस्वीकरण से बचा जा सके।

4. इसे प्रेस महापंजीयक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पामुला रत्नाकर)
उप प्रेस महापंजीयक